संदर्भ शर्तें (टीओआर)

जूनियर कंसल्टेंट–पीएम–आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर उपर्युक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

ए. पृष्ठभूमि

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पीएम– आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम–एबीएचआईएम) के कार्यान्वयन में योगदान देने के लिए कनसल्टेंट्स की तलाश है। इस संदर्भ में, सार्वजनिक स्वास्थ्य के कनसल्टेंट परियोजना से संबंधित गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) का हिस्सा होंगे।

बी. परियोजना पृष्ठभूमि और उद्देश्य

पीएम– आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम–एबीएचआईएम) केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है ताकि समुदायों को इस तरह की महामारी/स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। योजना के तहत उपायों में सभी स्तरों अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने और वर्तमान एवं भविष्य की महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करने पर ध्यान दिया जाता है।

सी. कार्य का दायरा

जूनियर कंसल्टेंट (पीएम–एबीएचआईएम) निम्नलिखित कार्यों के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थापित पीएम–एबीएचआईएम एनपीएमयू इकाई के तहत काम करेंगे :

भूमिका और उत्तरदायित्वः

- पीएम–एबीएचआईएम के तहत राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर आवश्यकतानुसार पीएम–एबीएचआईएम के लिए नीति दस्तावेज, तकनीकी इनपुट और कार्यक्रम समर्थन के विकास में सहायता प्रदान करना
- दिशानिर्देशों, एसओपी, टेम्पलेट, प्रारूपों के विकास के साथ पीएम–एबीएचआईएम के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज
- मंत्रालय के संबंधित कार्यक्रम प्रभाग के साथ पीएम–एबीएचआईएम कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) का समन्वय, कनसल्टेंट को आवंटित राज्य के लिए एनपीसीसी के समक्ष रखने के लिए पीआईपी पर उनके इनपुट/टिप्पणियों का मिलान
- क्षेत्र की यात्रा करना/ उनमें सहायता करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा करना
- संबंधित परियोजना घटक के लिए सभी आंकड़ों के लिए फोकल प्वाइंट और पीएम–एबीएचआईएम से संबंधित आंकड़ों को बनाए रखना और समय–समय पर रिपोर्ट तैयार करना
- सूचना एकत्र करने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अन्य कार्यक्रम प्रभागों के साथ समन्वयित आवंटित राज्यों के कार्यक्रम कार्यान्वयन के आंतरिक विश्लेषण के लिए रिपोर्ट तैयार करना और पीएम–एबीएचआईएम के जनादेश को पूरा करने में सहायता करना
- तकनीकी सहायता के प्रावधान या समन्वय के माध्यम से पीएम–एबीएचआईएम के कार्यान्वयन का समर्थन करना

- विभिन्न राज्यों/जिलों में नीति की जानकारी देने और उपयुक्त परिवर्तनों की वकालत करने के लिए क्षेत्र समीक्षा यात्रा करना
- स्थितिजन्य विश्लेषण से प्राप्त योजना और प्रस्तावों/रणनीतियों के विकास एवं कार्यान्वयन को सुगम बनाना
- पीएम–एबीएचआईएम की प्रगति के बारे में जानकारी एकत्र करना और नियमित आधार पर पीएम–एबीएचआईएम के कार्यान्वयन की स्थिति को समझने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण करना
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपी गई अन्य गतिविधियों/कार्यों को करना

अनिवार्य शैक्षिक योग्यता/आवश्यकताएं

- सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर/स्वास्थ्य और अस्पताल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/अस्पताल प्रशासन में स्नातकोत्तर (एमएचए)/स्वास्थ्य प्रबंधन में एमबीए/ सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, निवारक और सामाजिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर या उच्च योग्यता।
- शैक्षिक योग्यता के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नियोजन या कार्यान्वयन में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव। राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण/एनएचएम में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
- एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट जैसे आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले पैकेजों में उच्च स्तर के परिचय के साथ कंप्यूटर प्रवीणता।
- उत्कृष्ट संचार और प्रस्तुति कौशल, विश्लेषणात्मक एवं पारस्परिक क्षमता, अंग्रेजी में उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान भी वांछित।
- बहु–विषयक टीम वातावरण में काम करने की प्रदर्शित क्षमता।
- क्षेत्र स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन/ जिला स्तरीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के कार्य का प्रदर्शित अनुभव।
- तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों और जिलों की यात्रा करने की इच्छा और असाइनमेंट के लिए समय–सीमा को पूरा करने के लिए एक साथ विभिन्न असाइनमेंट पर काम करने की क्षमता।

रिपोर्टिंग:

कनसल्टेंट (पीएम–एबीएचआईएम) निदेशक/डीएस–एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे

अनुबंध अवधि:

नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर शुरू में 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए होगी। यद्यपि विशुद्ध रूप से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विवेक पर संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन कनसल्टेंसी को आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। यद्यपि किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का लिखित नोटिस देकर कनसल्टेंसी को समाप्त किया जा सकता है।

पदों की संख्या: 03 (तीन)

स्थान: दिल्ली

अन्य शर्तें: भारत सरकार/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्तमान शर्तों के अनुसार

आयु: 35 वर्ष तक (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को)

परिलब्धि: रु. 40,000/– से रु. 70,000/– प्रति माह के बीच।

आवेदन कैसे करें: उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन सही तरह से भरने का आग्रह किया जाता है जो एनएचएसआरसी की वैबसाइट http://nhsrcindia.org पर उपलब्ध है। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **13-Jun-2023** है।